कार्यालय प्राचार्य, किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़

(अग्रणी महाविद्यालय)

फोन/फैक्स न.–07762–222966, E-mail-kgcraigarh1958@gmail.com Website:www.kgcollegeraigarh.ac.in

रायगढ़, दिनांक – 15.02.2021

//सूचना//

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, के आदेश क्र. एफ 3–90/2020/38–1 दिनांक 13.02.2021 के अनुसार समस्त विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों में दिनांक 15/02/2021 से भौतिक रूप से क्लासरूम शिक्षण कार्य प्रारंभ किये जाने के निर्देश के अनुपालन में इस महाविद्यालय में भी भौतिक रूप से क्लासरूम शिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है, विभिन्न कक्षाओं के प्रवेशार्थी निर्धारित समय–सारणी के अनुरूप अपनी कक्षा में उपस्थित हों, तथापि शासन के निर्देश के अनुरूप भौतिक रूप से कक्षा शिक्षण में सम्मिलित न हो सकने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाईन शिक्षण कार्य भी पूर्ववत जारी रहेगा।

2/ विद्यार्थी महाविद्यालय मं उपस्थिति के समय कोविड–19 के संक्रमण के बचाव के संबंध में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें, एवं सोशल डिस्टेशिंग बनाये रखें।

3/ यदि किसी विद्यार्थी को सर्दी, जुकाम, बुखार अथवा कोरोना के कोई लक्षण दिखाई दे, तो ऐसे विद्यार्थी भौतिक कक्षा में बैठने के स्थान पर ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था से लाभान्वित हो सकते हैं, उन्हें महाविद्यालय नहीं आने एवं कोरोना की जांच कराने के लिये निर्देशित किया जाता है।

प्राचार्य
किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान
महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर

::आदेश::

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/02/2021

क्रमांक एफ 3–90/2020/38–1 :: राज्य शासन, एतद्द्वारा, प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में दिनांक 15/02/2021 से भौतिक रूप से क्लासरूम शिक्षण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है। भौतिक रूप से क्लासरूम शिक्षण के साथ ही ऑनलाईन शिक्षण कार्य भी पूर्ववत जारी रहेगा तथा छात्र–छात्राएं ऑनलाईन कक्षाएं अटेन्ड कर सकेंगे उन्हें कैम्पस उपस्थिति की बाध्यता नहीं होगी।

2/ कोविड–19 के संक्रमण के बचाव के संबंध में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये।

3/ यदि किसी विद्यार्थी को सर्दी, जुकाम, बुखार अथवा कोरोना के कोई लक्षण दिखाई दे, तो ऐसे विद्यार्थी को कक्षा में नहीं बैठने दिया जाये तथा तत्काल कोरोना की जाँच कराने की सलाह दी जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

13/2/21

(धनंजय देवांगन)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक एफ 3–90/2020/38–1 **नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/02/2021**
प्रतिलिपि :–

01. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
02. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर,
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
04. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़,

.....2.....

E:\university\order.docx/30

05. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,

06. समस्त कुलसचिव, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़,

07. सचिव, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर,

08. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/सरगुजा/बस्तर,

09. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,

10. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर,

11. उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,

12. आदेश फोल्डर,

की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13/2/21

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

E:\university\order.docx/31